30

प्रेषक,

मो0 रईस सिद्दीकी,
अध्यक्ष
जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग,
बाराबंकी।

सेवा में,

निबंधक,
माननीय राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्रांकः 208/जिउविप्रआ./मध्य प्रकोष्ठ/2022 दिनांक 31 मार्च, 2022

विषयः जिला आयोग, बाराबंकी हेतु मध्यस्थों को पैनलबद्व करने हेतु विज्ञप्ति प्रकाशित किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक के संबंध में कृपया अपने पत्रांक 3426/एस.सी.डी.आर.सी./अधि.101/16 दिनांक 02 दिसम्बर 2021 व पत्रांक 5070/एस.सी.डी.आर.सी./अधि.101/16 दिनांक 28 फरवरी 2022 एवं उपभोक्ता संरक्षण एवं बांट माप अनुभाग-2 उ0 प्र0 शासन की अधिसूचना संख्या-सी.पी. 480/2021/84-2-2021-सी.एन. 1369528 दिनांक 25.11.2021 के अनुपालन में उपभोक्ता संरक्षण (मध्यकता) विनियमन 2020 में दिये गये प्राविधानानुसार इस जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, बाराबंकी हेतु मध्यस्थ को पैनलबद्व किया जाना है। इस संबंध में प्राविधान है कि प्रश्नगत प्रकरण में विज्ञापन को एक अंग्रेजी समाचार पत्र एवं एक स्थानीय समाचार पत्र में प्रकाशित कराया जावें।

इस संबंध में माननीय राज्य आयोग की बेवसाइट तथा अमर भारती समाचार पत्र में सूचना प्रकाशित कराई गई थी परन्तु बहुत कम आवेदन प्राप्त होने के कारण अंतिम तिथि में बृद्वि करते हुये दिनांक 18.04.2022 निर्धारित किया जाता है।

अतः प्रश्नगत प्रकरण में आपसे अनुरोध है कि यदि इस संबंध में आवश्यक सूचना को माननीय राज्य आयोग, लखनऊ की बेवसाइट पर पुनः अपलोड करा दिया जाय,

आवश्यक सूचना

" जिला उपभोक्ता आयोग, बाराबंकी में मध्यस्थ नियुक्त होने के इच्छुक व्यक्ति मा0 राज्य उपभोक्ता आयोग, उ0 प्र0 की बेवसाइट www.scdrcup.nic.in से समस्त जानकारी डाउनलोड कर आवेदन कर सकते है।"

ऐसा करने पर विज्ञापन सूक्ष्म हो जाने से उस पर आने वाला व्यय न्यून जो जायेगा। उक्त क्रम में शर्ते एवं आवेदन का प्रारूप तथा अंतिम तिथि इस पत्र के साथ संलग्न किया जा रहा है।

संलग्नकः यथोपरि।

भवदीय,
M.R. Siddiqui
(मो0 रईस सिद्दीकी)
अध्यक्ष 31/03/2022
जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष फोरम,
बाराबंकी।

अध्यक्ष
जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग
बाराबंकी

26
01.04.2022

SAO
01-4-2022

AO(E)
01-4-2022

01-4-22

जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष फोरम, बाराबंकी।

सूचना

जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, बाराबंकी से सम्बद्व मध्यस्थता प्रकोष्ठ उपभोक्ता मामलों में मध्यस्थता के लिए मध्यस्थें का एक पैनल तैयार करने का प्रस्ताव करता है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019(मध्यस्थता) नियम 2020 और उपभोक्ता संरक्षण (मध्यस्थता) विनियम, 2020 एवं उपभोक्ता संरक्षण एवं बाट माप अनुभागर–2 उ. प्र. शासन की अधिसूचना संख्या सी.पी. 480 / 2021 / 84–2–2021–सी.एन. / 1369528 दि. 15.11.2021 के संदर्भ में पात्र भारतीय नागरिकों से आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते है जो निम्नलिखित मानदण्डों को पूरा करते है:–

1. मा. जिला न्यायालय में सेवानिवृत्त न्यायाधीश है।
2. उपभोक्ता आयोग के सेवानिवृत्त सदस्य है।
3. सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी है जिनके पास कम से कम 10 वर्ष का अनुभव है।
4. बार में कम से कम 10 वर्ष के अनुभव के साथ वकील है।
5. भारत के उच्च न्यायालय या जिला न्यायालय के मध्यस्थता प्रकोष्ठ के साथ पैनलबद्व मध्यथ है।
6. मध्यस्थता या सुलह में कम से कम 05 वर्ष का अनुभव रखने वाला व्यक्ति है।
7. कम से कम 15 वर्ष के अनुभव के साथ विशेषज्ञ या अन्य पेशेवर या सेवानिवृत्त वरिष्ठ नौकरशाह या सेवानिवृत्त अधिकारी है।

मध्यस्थतों के नियम और शर्ते, मध्यस्थतों को देय शुल्क सहित उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 और उपभोक्ता संरक्षण (मध्यस्थता) नियम 2020 और उपभोक्ता संरक्षण (मध्यस्थता) विनियम, 2020 के प्रासंगिक प्रावधानों के अनुसार होगी।

पात्र अभ्यर्थी अपने आवेदन पत्र इस तरह से भेजेगें कि उनके सभी तरह से पूर्ण आवेदन जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, बाराबंकी तक अधिकतम दिनांक 18.04.2022 अपरान्ह 5.00 बजे पंजीकृत डाक या स्वयं उपस्थित होकर प्राप्त कराये जा सकते है। इसके बाद किसी भी कारण से प्राप्त आवेदन को अस्वीकार कर दिया जायेगा।

चयन समिति उम्मीदवारों की उपयुक्तता, सत्यनिष्ठा के साथ साथ प्रासंगिक अनुभव को ध्यान में रखते हुये आवेदनों की जांच और शार्ट लिस्टिंग और अपनी सिफारिशें करने के लिये अपनी प्रकिया निर्धारित करने के लिये किसी भी मानदण्ड को अपना सकती है।

इच्छुक व्यक्ति अपने आवेदन अनुलग्नक–1 में दिये गये प्रारूप में जमा कर सकते है।

आदेश द्वारा प्रकाशित

M.R. Siddiqui

(मो0 रईस सिद्दकी)

अध्यक्ष 31/03/2022

जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग,

बाराबंकी।

अध्यक्ष

जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग

बाराबंकी

अनुलग्नक–1

जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, बाराबंकी से संबद्व मध्यस्थता प्रकोष्ठ के लिए मध्यस्थ के रूप में शामिल होने के लिये आवेदन पत्र

पासपोर्ट साईज फोटो राजपत्रित अधिकारी से प्रमाणित चिपकाये

जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, बाराबंकी हेतु मध्यस्थ को पैनलबद्व करने हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप :–

1. आवेदक का नाम (हिन्दी में) ....

2. आवेदक का नाम (अंग्रेजी में)..

3. आवेदक की जन्मतिथि ....

4. पिता का नाम ....

5. आवेदक का स्थाई पता ....

6. आवेदक मोबाइल नम्बर ....

7. आवेदक की शैक्षणिक योग्यता..

8. आवेदक का मध्यस्थता औ शैक्षणिक क्षेत्र/सेवा में अनुभव ....

9. आवेदक के पत्राचार का पता..

10. आवेदक की ई–मेल आई.डी..

12. क्या आपने कभी राज्य/केन्द्र सरकार के अधीन सिविल पोस्ट पर कार्य किया है यदि हो तो विवरण दें......................................

13. क्या आपने मध्यस्थता का कभी कोई प्रशिक्षण प्राप्त किया है यदि हॉ तो प्रमाण पत्र संलग्न करें।

14. यदि आवेदक किसी न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश/सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी/उपभोक्ता आयोग के सेवानिवृत्त सदस्य/वकालत का दस वर्ष का अनुभव रखने वाला अधिवक्ता/मध्यकता/सुलह में न्यूनतम पॉच वर्षो का अनुभव रखने वाला कोई व्यक्ति/15 वर्षो का अनुभव रखने वाले विशेषज्ञ या

अन्य व्यावृतिक अथवा सेवा निवृत्त वरिष्ठ अधिकारी या सेवा निवृत्त अधिकारी है तो उसका सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित छाया प्रतियां संलग्न करे एवं सेवा के अंतिम पद का उल्लेख करें. ....

15. क्या आवेदक के विरूद्व कोई आपराधिक मामला दर्ज किया गया है............................

16. क्या आवेदक पर किसी आपराधिक मामले में आरोप पत्र दायर किया गया है? यदि हो, तो उसका ब्यौरा क्या है।...

17. क्या आवेदक को किसी सक्षम न्यायालय द्वारा किसी आपराधिक मामले में दोषसिद्व किया गया है? यदि हॉ तो तत्संबंधी ब्यौरा...

18. कोई अन्य जानकारी जो कॉलम नम्बर 1 से 17 के अंतर्गत नहीं आती है।

आवेदक के हस्ताक्षर और नाम

दिनांकः

घोषणा पत्र

एतद्द्वारा मैं यह घोषण करता हूॅ कि मेरे द्वारा इस आवेदन में जो भी सूचनायें अंकित की है वह सत्य है । भविष्य में यदि कोई सूचनाये गलत पाई जाती है तो मेरा अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाये।

दिनांक :

स्थान : आवेदक के हस्ताक्षर और नाम